भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 48/2024–25
दिनांक: 4 जनवरी, 2025

विषय: राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से नेपाल को गेहूं के निर्यात संबंध में।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 13.05.2022 की अधिसूचना सं. 06/2015–20 के पैरा 2(ख) में निहित प्रावधान के अनुरूप केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से नेपाल को गेहूं (एचएसएन 1001) की 2,00,000 मी.ट. के निर्यात की अनुमति प्रदान करती है।

अधिसूचना का प्रभाव: राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से नेपाल को गेहूं का 2,00,000 मी.ट. का निर्यात अनुमत किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
4.1.2025

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/191/049/एएम–24/ईसी/ई–37225 से जारी)